

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिकप्रकरण कमांक-257 / 16

संस्थापित दिनांक 07 / 06 / 16

फाईलिंग नं. 233504000372016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :-

अमरू पिता बिरजू उईके, उम्र 38 वर्ष,
 जाति गोंड, पेशा कृषि, नि0 ग्राम बोढ़ना,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-16 / 01 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 27 / 05 / 16 समय दोपहर 03:00 बजे के करीब या उसके लगभग ग्राम डोंगरडोह नदी के पास बोढ़ना, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी मिथुन उईके को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दुसरो को क्षोभ कारित किया, आपने फरियादी मिथुन उईके को बांस का डंडा से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, आपने फरियादी मिथुन उईके को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम बोढ़ना रहता है। कक्षा 8वी में पढ़ता है। वह गांव के पास के जंगल में गाय, बैल, बकरी चराने गया था, गांव के पास डोंगरडोह नदी में बनी झिरिया में मवेशियों को पानी पिलाने ले गये तो वहां पर अमरू उईके का नाती गुलशन भी पानी पीने झिरिया पर गया था, मवेशियों को पानी पिलाते समय झिरिया का पानी कंदला हो गया तो गुलशन रोने लगा अमरू उईके आया और गंदी-गंदी गालियाँ देकर बोला कि उसने झिरिया का पानी कंदला कर दिया और बांस का डंडा उठाया और मारपीट करने लगा जिससे उसे पीठ पर चोट लगकर खून निकला है और बोल रहा था की नदी तरफ दिखा तो उसको जान से खत्म कर दूंगा। घटना ओमप्रकाश ने देखी है। फिर उसने घर आकर घटना के बारे में अपने चाचा शम्भुलाल उईके को बताया फिर वह उसके चाचा शम्भुलाल के साथ थाना रिपोर्ट करना आया।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अप0कं0-263 / 16 कायम कर अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 धारा-294, 323, 506 के

तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 02.06.14 को नक्शा मौका प्र0पी0 5 तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 6 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1— “क्या आपने दिनांक 27/05/16 समय दोपहर 03:00 बजे के करीब या उसके लगभग ग्राम डोंगरडोह नदी के पास बोड़ना, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी मिथुन उईके को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया?”

2— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी मिथुन उईके को बांस का डंडा से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की?”

3— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी मिथुन उईके को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 2 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी मिथुन उईके (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह जब जानवरों को पानी पिला रहा था, उस समय पानी कंदला हो गया था, इस बात को लेकर उसकी और गुलशन की लड़ाई हो गई थी बाद में गुलशन का दादा अमरू मौके पर आया था तो उसने उन दोनों को समझाया था और डाटा था कि पानी के पास नहीं आना। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसे अमरू ने गंदी-गंदी माँ बहन की गालियाँ देकर बोला कि उसने झिरिया का पानी गंदा कर दिया है और बांस का डंडा उठाकर मारपीट करने लगा जिससे उसके सिर पर एवं पीठ पर चोट लगकर खून निकला है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 04 में यह स्वीकार किया है कि आरोपी अमरू ने उसके साथ कोई गाली गलौच मारपीट नहीं की। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने गुलशन के द्वारा घटना करना बताया था आरोपी का नाम नहीं बताया था। इस प्रकार इस गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त अमरू के द्वारा लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

7— अभियोजन साक्षी शम्भुलाल (अ0सा02) एवं अभियोजन साक्षी ओमप्रकाश (अ0सा03) के मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त अमरू के द्वारा लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

8— अभियोजन साक्षी डॉ० मनीष (अ०सा००६) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आहत मिथुन के परीक्षण करने पर चोट कं. १ सिर के पिछले भाग में लेसेरेटेड वुन्ड जिसका आकार १ से.मी. गुणित ५ से.मी. गुणित ५ से.मी. का था। चोट कं. २ सूजन के साथ लालिमा लिये हुए पीठ पर दांयी ओर पाया था जिसका आकार १० से०मी० गुणित ४ से०मी० था। उक्त दोनों चोटे ठोस एवं बोथरे वस्तु से आई हुई थी। उक्त दोनों चोटे साधारण प्रकृति की थी। चोट २ घंटे के अंदर की थी। उसकी मेडिकल रिपोर्ट प्र०पी० ७ है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह की साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आहत मिथुन के शरीर में चोट थी, किन्तु स्वयं फरियादी मिथुन की प्रतिपरीक्षा की कंडिका ४ में यह स्वीकार किया है कि आरोपी अमरू ने उसके साथ कोई गाली गलौच व मारपीट नहीं की थी। इस प्रकार फरियादी के द्वारा किए गए स्वीकृत तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि जो चोट डॉ० मनीष ने आहत मिथुन के शरीर में चोट पाई थी वह अभियुक्त के द्वारा कारित की गई थी। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि डॉ० मनीष जौन्जारे के द्वारा फरियादी मिथुन के शरीर में जो चोट कारित की गई थी वह अभियुक्त के द्वारा ही कारित की गई थी।

9— अभियोजन साक्षी जयवंती (अ०सा००४) के द्वारा फरियादी के बताये अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० १ लेखबद्ध की गई है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन साक्षी डी०एस० पठारिया (अ०सा००५) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि फरियादी बताये अनुसार घटना नक्शा मौका प्र०पी० ५ बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० ६ बनाया गया है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक ०२/०६/१६ को फरियादी मिथुन साक्षी शम्भुलाल, विरवतीबाई, ओमप्रकाश के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए, किन्तु अभियोजन साक्षी मिथुन (अ०सा००१) की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्त अमरू के द्वारा लाठी से मारपीट नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति में उक्त गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद होकर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

१०— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी मिथुन उईके को बांस का डंडा से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं २ का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं १ व ३ का निराकरण

११— अभियोजन साक्षी शम्भुलाल (अ०सा००२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि अमरू ने गंदी-गंदी गालियाँ देकर उसे डांटा था। अभियोजन साक्षी ओमप्रकाश (अ०सा००३) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि गांव का अमरू गोंड आया और अमरू ने गंदी-गंदी गालियाँ देकर मारने पीटने की धमकी दिया। फरियादी मिथुन (अ०सा००१) ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा किसी भी प्रकार की गाली गलौच करना नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दुसरो को क्षोभ कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं १ का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

१२— अभियोजन साक्षी ओमप्रकाश (अ०सा००३) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि गांव का अमरू गोंड आया और अमरू ने गंदी-गंदी गालियाँ देकर मारने पीटने की

धमकी दिया। किन्तु फरियादी मिथुन (अ०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में किसी भी प्रकार की धमकी देना नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 3 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

13— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी मिथुन उईके को बांस का डंडा से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह अप्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी मिथुन उईके को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दुसरो को क्षोभ कारित किया तथा उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी मिथुन उईके को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त अमरू को भा०द०वि० की धारा—294, 323 एवं 506 भाग—2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14— अभियुक्त के धारा—313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०स० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

15— प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०